

(10) नर्सिंग शिक्षकगण का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष का होगा। सेवा संतोषजनक होने, आवश्यकता होने पर तथा कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहने, सम्बन्धित के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य न होने, जो कि इनका कार्यकाल बढ़ाये जाने में बाधक हो एवं सम्बन्धित से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कि इनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद नहीं है, के आधार पर संक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त कार्यकाल 01 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकेगा।

(11) नर्सिंग शिक्षकगण स्थानांतरित नहीं किये जायेंगे।

3- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 का शासनादेश संख्या-156557/71-1005(001)/20/2021, दिनांक 15 अप्रैल, 2022 में निर्धारित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

संलग्नक:-यथोक्त।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से

Signed by आनोक कुमार

Date: 09-09-2022 11:43:42

Reas(आनोक कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या-उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा ट्यूटर को अपने स्तर से कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 3- प्रधानाचार्य, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, मेरठ, आगरा, कन्नौज, गोरखपुर, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर।
- 5- प्रधानाचार्य, राजकीय पैरा मेडिकल कालेज ट्रेनिंग कालेज, झांसी।
- 6- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ, आगरा, कन्नौज, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर एवं झांसी।
- 7- कोषाधिकारी, झांसी, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, कन्नौज।
- 8- संबंधित चिकित्सा शिक्षकगण।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।

संख्या-एम0ई0-1/2022/ 2993

लखनऊ, दिनांक 21 सितम्बर 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ, आगरा, कन्नौज, गोरखपुर, प्रयागराज।
2. प्रधानाचार्य, कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर।
3. निदेशक, पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल/नर्सिंग कालेज में 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें।

(श्रुति सिंह)

महानिदेशक।

I/211821/2022

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या- 211821/2022/ 71-1005(001)/20/2021

लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ/आगरा/कन्नौज/प्रयागराज/गोरखपुर/कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर/राजकीय पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी में नर्सिंग शिक्षकगण को संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-एम०ई०-1/2022/2710, दिनांक 29 अगस्त, 2022 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार (एसोसिएट प्रोफेसर के 08 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 14 पद तथा ट्यूटर के 60 पद) कुल 82 अभ्यर्थियों को नर्सिंग शिक्षक के पद पर संविदा के आधार पर योगदान देने की तिथि से 02 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए नियुक्त/तैनात किये जाने की स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध सहित एतद्वारा प्रदान करते हैं कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त नर्सिंग शिक्षकगण:-

(1) संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकगण यथा एसोसिएट प्रोफेसर को ₹0 80,000/-, असिस्टेंट प्रोफेसर को ₹0 70,000/- एवं ट्यूटर को ₹0 45,000 /- मानदेय प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा।

(2) नर्सिंग शिक्षकगण की ड्यूटी 08 घण्टे की होगी। किसी भी कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर उस दिवस के वेतन की घनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) नर्सिंग शिक्षकगण को आकस्मिक अवकाश/चिकित्सा अवकाश वर्ष में अधिकतम 14 तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात देय होंगे।

(4) महिला नर्सिंग शिक्षकगण को मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961 के तहत 180 दिन का अवकाश सवेतन अनुमन्य होगा।

(5) यदि कोई नर्सिंग शिक्षक बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सेवाये अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

(6) सेवा सतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

(7) संविदा छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस या नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।

(8) संविदा नर्सिंग शिक्षकगण सेवा में विनियमतीकरण, स्थायीकरण, पेंशन, बोनस आदि सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे।

(9) संविदा नर्सिंग शिक्षकगण की सेवाये सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर Last Come First Go के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी।

4086

AD(A)

12/09/22

1357

A-0

13/9/2022

ज.स.स.स.
15/9/2022

I/211821/2022

(10) नर्सिंग शिक्षकगण का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष का होगा। सेवा संतोषजनक होने, आवश्यकता होने पर तथा कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहने, सम्बन्धित के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य न होने, जो कि इनका कार्यकाल बढ़ाये जाने में बाधक हो एवं सम्बन्धित से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कि इनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद नहीं है, के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त कार्यकाल 01 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकेगा।

(11) नर्सिंग शिक्षकगण स्थानांतरित नहीं किये जायेंगे।

3- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 का शासनादेश संख्या-156557/71-1005(001)/20/2021, दिनांक 15 अप्रैल, 2022 में निर्धारित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।
संलग्नक:-यथोक्त।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से

Signed by आनोक कुमार

Date: 09-09-2022 11:43:42

Reas(आनोक कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या-उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा ट्यूटर को अपने स्तर से कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 3- प्रधानाचार्य, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, मेरठ, आगरा, कन्नौज, गोरखपुर, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर।
- 5- प्रधानाचार्य, राजकीय पैरा मेडिकल कालेज ट्रेनिंग कालेज, झांसी।
- 6- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ, आगरा, कन्नौज, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर एवं झांसी।
- 7- कोषाधिकारी, झांसी, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, कन्नौज।
- 8- संबंधित चिकित्सा शिक्षकगण।
- 9- मार्ल फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

I/211821/2022

शासनादेश संख्या-71-1005(001)/20/2021 दिनांक 12 सितम्बर, 2022 का संलग्नक-

क्रमांक	पदनाम	अभ्यर्थी का नाम	तैनाती स्थल
1	2	3	4
(अ)	एसोसिएट प्रोफेसर	1- Hemalatha M	Agra
		2- LITHIYA JOSE	Kanpur
		3- SUBHASH SHARMA	Kanpur
		4- HARISH KUMAR SHARMA	Meerut
		5- SANTHOSH S.U.	Jhansi
		6- DEEPAK KUMAR	Prayagraj
		7- NANAK CHAND SUMAN	Gorakhpur
		8- PRAMOD KUMAR SHARMA	Kannauj
(ब)	असिस्टेंट प्रोफेसर	1- MRS. KAVITA DEVI	Gorakhpur
		2- POOJA YADAV	Agra
		3- RANJNA SINGH RAJPOOT	Kanpur
		4- ARCHANA SINGH YADAV	Jhansi
		5- ANJALI GUPTA	Prayagraj
		6- NAVEEN CHANDRA PANDEY	Kannauj
		7- ABHISHEK YADAV	Agra
		8- PRIYANKA CHAUDHARY	Kanpur
		9- NISHI KUMARI	Jhansi
		10- MONIKA BHUSHAN	Gorakhpur
		11- MAHESH KUMAR KHOKHAR	Prayagraj
		12- PRADEEP KUMAR	Kannauj
		13- MANISHA ANAND	Kanpur
		14- SANTO PEARL GEETHAM.V	Agra
(स)	द्यूटर	1- SURYA KANT TIWARI	Agra
		2- KHUSH KUMAR SONI	Agra
		3- ROHIT SONI	Agra
		4- ANCHAL GUPTA	Agra
		5- LOVEENA ARPITA SAMUEL	Kanpur
		6- ITISHA ROSE PRASAD	Kanpur
		7- VANITA ROHILLA	Kanpur
		8- AKHILESH CHAUHAN	Kanpur
		9- ANURADHA	Kanpur
		10- ANIL PRAJAPAT	Kanpur
		11- DEEPAK KUMAR GUPTA	Meerut
		12- ANJALI SHUKLA	Meerut
		13- RAJNI	Meerut
		14- SURAT RAM KUDI	Meerut
		15- SAUMYA PRAKASH SRIVASTAVA	Meerut
		16- PUSHPENDRA KUMAR	Jhansi
		17- KARTIK SHARMA	Meerut
		18- NARESH JEENGAR	Meerut
		19- DEEPAK KUMAR RAI	Meerut
		20- DIVYANJALI	Meerut
		21- ISHWAR DAS VAIRAGI	Jhansi
		22- ANKIT RAJ	Jhansi
		23- SHOIB AHMED	Gorakhpur
		24- ASHU YADAV	Gorakhpur
		25- AMANJEET KAUR	Prayagraj
		26- BHOOPENDRA SINGH YADAV	Gorakhpur
		27- PARUL VERMA	Gorakhpur
		28- SONI CHAUHAN	Kannauj

I/211821/2022

File No.71-1005(001)/20/2021- -1-

29- REETIKA	Kannauj
30- SHANTNU GAUR	Kannauj
31- KM. ARTI	Kannauj
32- RAMAKANTI YADAV	Kanpur
33- SHANKAR GUNDAIYA	Agra
34- MANISH KUMAWAT	Agra
35- NISHA YADAV	Kanpur
36- ARATI VERMA	Jhansi
37- SAPNA PAL	Kanpur
38- BHAGA RAM	Agra
39- MEENAKSHI SINGH	Kanpur
40- LAKSHMI KASHYAP	Meerut
41- ASTHA VERMA	Kannauj
42- SHIMPI GUPTA	Meerut
43- SANJAY SAINI	Meerut
44- VIPRA	Meerut
45- NEHA SINGH	Meerut
46- PARVEEN SHAH	Meerut
47- SHIVANGI YADAV	Meerut
48- NEELAM RAJPUT	Gorakhpur
49- NISHA BHARTI	Gorakhpur
50- MANOJ YADAV	Gorakhpur
51- MANISH KUMAR SINGH	Kannauj
52- SHUBHAM YADAV	Kannauj
53- SHASHI PRAKASH	Agra
54- ANJALI	Kanpur
55- ANUSHKA SHARMA	Agra
56- RUPALI SINGH	Kanpur
57- NEHA SINGH	Kannauj
58- ANURAG SHARMA	Gorakhpur
59- VED PRAKASH TIWARI	Meerut
60- VIJAY LUXMI SINGH	Meerut

(एस0पी0सिंह)

अनु सचिव।